जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत पेयजल योजनाओं के कनेक्शन नियमित कराने के लिए दिशा–निर्देश जारी

नियमित कनेक्शन के लिए आवेदन 10 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 16 तक

जयपुर 07 अक्टूबर। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं/जलस्त्रोतों के लिए कई ग्राम पंचायतों द्वारा विधिक रुप से विद्युत कनेक्शन नही लेकर अनाधिकृत रुप से सिंगल फेज एल.टी. से मोटर चलाकर पेयजल वितरण किया जा रहा है। इन योजनाओं हेतु नियमित कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि अनाधिकृत पेयजल योजनाओं के लिए नियमित कनेक्शन करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए है ताकि पेयजल वितरण व्यवस्था में कोई व्यवधान नही हो और नियमित कनेक्शन होने से निगम को राजस्व की प्राप्ति भी हो। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं एवं ग्राम पंचायतों की सहमति/अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर या अन्य विकास योजनाओं में पीएचईडी द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं पर तत्काल विधिक रुप से विद्युत कनेक्श हेतु आवेदन किया जाए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि विद्युत वितरण निगमों द्वारा पेयजल योजनाओं के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है इससे प्रत्येक पेयजल योजना के लिए अलग से ट्रांसफार्मर होने पर उचित वोल्टेज मिलते है एवं विद्युत सप्लाई नियमित रहने से पेयजल आपूर्ति बाधित नही होती है। पेयजल योजनाओं व जल स्त्रोत पर कनेक्शन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा सहायत अभियन्ता कार्यालय में कनेक्शन हेतु 10 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2016 तक आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद मौके की जांच कर पृथक ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट बनाकर राशि जमा कराने के लिए मांग पत्र जारी किया जाएगा। मांग पत्र की राशि 30 दिवस में जमा करानी होगी अथवा ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक या विकास अधिकारी द्वारा अण्डर टेकिंग देनी होगी कि मांग पत्र की राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिन में जमा करा दी जाएगी।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि मांग पत्र की राशि जमा होने अथवा अण्डर टेकिंग देने के बाद कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा एवं कनेक्शन के लिए एलपीआर मीटर ट्रांसफार्मर के पास पोल पर लगाया जाएगा। कनेक्शन जारी होने के बाद नियमित बिल सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा एवं सम्बन्धित पंचायत द्वारा देय होगा। यदि पंचायत द्वारा बिल राशि जमा नही कराई जाएगी तो कनक्शन काट कर ट्रांसफार्मर हटा लिया जाएगा इसके साथ ही जुहां सम्भव होगा वहां अन्य एलटी लाईन को भी हटाया जाएगा, जिससे अनाधिकृत पेयजल योजना संचालित नही हो सके।

31 दिसम्बर, 2016 के बाद अनाधिकृत कनेक्शनों की जांच के लिए सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जाएगा एवं विद्युत चोरी पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 454/2016